पटना में दिनांक–05 अगस्त, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

| | |
|---|---|
| **उद्योग विभाग** | |
| 1. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रशिक्षुओं के छात्रवृत्ति का दर प्रतिमाह ₹ 500.00 से बढ़ाकर ₹ 800.00 प्रतिमाह एवं छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिये भोजन एवं अल्पाहार हेतु ₹ 1500.00 प्रतिमाह निर्धारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 9,67,200.00 (नौ लाख सड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 1. स्वीकृत। |
| **जल संसाधन विभाग** | |
| 2. पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) का पुनर्स्थापन (ई०आर०एम०) कार्य योजना के अवशेष कार्य की राशि ₹ 20,61,82,88,000.00 (रूपये बीस अरब एकसठ करोड़ बेरासी लाख अठासी हजार) मात्र का राज्य योजना मद अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्ष 2014–15 में ₹ 45,75,00,000.00 (रूपये पैतालिस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। | 2. स्वीकृत। |
| **भवन निर्माण विभाग** | |
| 3. बिहार भवन निर्माण विभाग के प्रारूपक संवर्ग (क्षेत्रीय/मुख्यालय स्थापना) (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. स्वीकृत। |
| **भवन निर्माण विभाग** | |
| 4. बिहार भवन निर्माण विभाग के तकनीकी संवर्ग (क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापना)(भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 4. स्वीकृत। |
| **भवन निर्माण विभाग** | |
| 5. बिहार भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय के तकनीकी संवर्ग (फीटर, इलेक्ट्रीशयन, वेल्डर एवं टर्नर) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 5. स्वीकृत। |
| **योजना एवं विकास विभाग** | |
| 6. 'स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त), नियमावली, 2014' की स्वीकृति के संबंध में। | 6. स्वीकृत। |

## विधि विभाग

7. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

## वाणिज्य–कर विभाग

8. राज्य सरकार द्वारा स्थापित समेकित जाँच चौकियों दालकोला (पूर्णियाँ), रजौली (नवादा), डोभी (गया), कर्मनाशा (भभुआ) एवं जलालपुर (गोपालगंज) की लेनों की जर्जर स्थिति में पी०क्यू०सी० कार्य कराने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलित राशि रू० 4728.082 लाख (रू० सैंतालिस करोड़ अठ्ाईस लाख आठ हजार दो सौ) मात्र की वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए योजना की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9. मुंगेर जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर की स्थापना की स्वीकृति, प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 44.92 करोड़ (चौवालीस करोड़ बेरानबे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्त्तक व्यय एवं शत प्रतिशत आर्वत्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. पूर्वी चम्पारण जिले के अंचल–तेतरिया, मौजा–तेतरिया, थाना सं०–76, खाता सं०–428, खेसरा सं०–1786, रकबा–0.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 5,50,000 (पाँच लाख पचास हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 2% का 25 गुणा अर्थात 2,75,000 पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 8,25,000 (आठ लाख पच्चीस हजार) रूपयों के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 10. स्वीकृत।

## स्वास्थ्य विभाग

12. डॉ० राम कुमार हिमांशु, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, कोईलवर (संप्रति–सहायक प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पद से निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

## शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राज्यांश ₹ 2228.47 लाख (बाईस करोड़ अट्ठाईस लाख सैंतालीस हजार) एवं केन्द्रांश ₹ 6955.44 लाख (उनहत्तर करोड़ पचपन लाख चौबालीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 9183.91 (इक्कानवे करोड़ तेरासी लाख इक्कानवे हजार) के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल राज्यांश ₹ 1107.67 लाख (ग्यारह करोड़ सात लाख सड़सठ हजार) एवं केन्द्रांश ₹ 3322.71 लाख (तैंतीस करोड़ बाईस लाख इकहत्तर हजार) अर्थात् कुल 4430.38 लाख (चौवालीस करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार) की विमुक्ति की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

## श्रम संसाधन विभाग

14. श्री संतलाल चौधरी, सेवा निवृत्त सहायक श्रमायुक्त का 100% (शत–प्रतिशत) पेंशन एवं उपादान की राशि जब्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव। — 14. स्वीकृत।

## श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

15. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–222 (दो सौ बाईस), व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029, दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415, दिनांक–20.12.12 को शिथिल करते हुए दिनांक–01.06.2014 से 31.05.2015 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

## श्रम संसाधन विभाग

16. बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014 के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

## श्रम संसाधन विभाग

17. बिहार नियोजन सेवा के अन्तर्गत नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी वेतनमान् रू० 9300–34800/–ग्रेड पे रू० 4800 के पद से सहायक निदेशक, नियोजन वेतनमान् 15600–39100/–ग्रेड पे–रू० 6600/–के पद पर नियमित प्रोन्नति का प्रस्ताव। — **17. स्वीकृत।**

## योजना एवं विकास विभाग

18. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु पदों के सृजन के स्वीकृत संलेख में कंडिका–4 के क्रमांक–2 तथा कंडिका–12 में संशोधन की स्वीकृति। — **18. स्वीकृत।**

## शिक्षा विभाग

19. राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर अस्थायी रूप से अंशकालिक शिक्षक की सेवाएँ लिये जाने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

## गृह (आरक्षी) विभाग

20. नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावां में एक नये पुलिस अनुमंडल का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 09 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

## कृषि विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रूपये) की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

## स्वास्थ्य विभाग

22. डा० (श्रीमती) कुमुदकामिनी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रार, रफीगंज, औरंगाबाद को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

## सामान्य प्रशासन विभाग

23. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाईटी, बिहार, पटना को गैर योजना मद में "सहायक अनुदान–वेतन" में उपबंधित राशि कुल रूपये 4,33,85,000/–(चार करोड़ तैंतीस लाख पचासी हजार) में से 50,00,000/–(पचास लाख) रूपये मात्र एवं "सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा" में उपबंधित कुल रूपये 1,41,02,000/–(एक करोड़ एकतालीस लाख दो हजार) मात्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

## वाणिज्य–कर विभाग

24. राज्य के निबंधित व्यवसायियों के लिए दुर्घटना मृत्यु अनुदान येाजना, 2014 बनाने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

## खान एवं भूतत्व विभाग

25. बिहार खनिज (अवैध खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 में संशोधन के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

## खान एवं भूतत्व विभाग

26. बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 में संशोधन के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

## निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

27. न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी का वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पुनरीक्षण की स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

## भवन निर्माण विभाग

28. बिहार संग्रहालय, पटना के प्रदर्शन एवं कलाकृति कार्य के निविदा का निष्पादन Quality & Cost Based Selection (QCBS) पद्धति एवं संशोधित JV Guidelines के अनुसार करने, तथा कार्य की विशिष्ट भुगतान अनुसूची (Invoicing Schedule) के प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में। — 28. संलेख की कंडिका–4 के साथ प्रस्ताव स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई बुजुर्ग अंचल के मौजा–चकजमाल, थाना सं०–528, खाता सं०–376, खेसरा सं०–1455, रकबा–7 डिसमिल किस्म भीठ भूमि एवं खाता सं०–36, खेसरा सं०–1456 रकबा–44 डिसमिल किस्म भीठ भूमि, कुल रकबा–51 डिसमिल भूमि जो प्रखंड परिसर के लिए अर्जित भूमि है का 91,80,000 (एकानवे लाख अस्सी हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत के 25 गुणा अर्थात् 45,90,000 (पैंतालीस लाख नब्बे हजार) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 1,37,70,000 (एक करोड़ सैंतीस लाख सत्तर हजार) रूपया के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सहदेई बुजूर्ग विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरूपित शर्त्तों के साथ स्थायी हस्तान्तरण।

**29. स्वीकृत।**

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

30. सिवान जिलान्तर्गत नौतन अंचल के मौजा–प्रतापपुर, थाना सं०–35, खाता सं०–20, खेसरा नं०–89, 90, रकबा–93 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 42,78,000 (वेयालीस लाख अठत्तर हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 21,39,000 (इक्कीस लाख उनचालीस हजार) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 64,17,000 (चौसठ लाख सतरह हजार) रूपया के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।

**30. स्वीकृत।**

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

31. कटिहार जिले के कटिहार अंचल के मौजा–दलन, थाना संख्या–77 के कुल 10 एकड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम संसाधन विभाग) की भूमि (खेसरा सं० की विवरणी–अनुलग्नक–I) को अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को इस शर्त्त के साथ निःशुल्क एवं स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण कि विवरणी अनुलग्नक–II में वर्णित 1 एकड़ भूमि महिला औद्योगिक संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय दोनों की व्यवहार में रहेंगी।

**31. स्वीकृत।**

## जल संसाधन विभाग

32. जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यपालक अभियंता (असै०) से अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर 16 कार्यपालक अभियंता (असै०) को अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् 37400–67000 ग्रेड पे–8700/–में नियमित प्रोन्नति एवं 16 कार्यपालक अभियंता (असै०) को अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान्–37400–67000 ग्रेड पे–8700/–में स्थान्नापन प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव है। — **32. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य)

33. सिवान जिला के सिसवन अंचल अन्तर्गत मेहन्दार पोखरा जलकर (खेसरा नं०–10 एवं 48, रकवा 151 एकड़) को जलकर सैरात सूची से हटाने के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — **33. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राकृतिक आपदा (बाढ़ एवं सुखाड़) की स्थिति में पशुओं को जानलेवा रोगों एच०एस० एवं बी०क्यू० से बचाव हेतु राज्यव्यापी निःशुल्क टीकाकरण अभियान संचालित करने के निमित्त आकस्मिकता की स्थिति में नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रतिष्ठान इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद से 3.00 रूपये प्रति खुराक (अनुमान्य कर अतिरिक्त) की दर से 20 लाख (बीस लाख) खुराक एच०एस०बी०क्यू० कम्बाईन्ड टीकौषधि के क्रय की स्वीकृति। — **34. स्वीकृत।**

## संसदीय कार्य विभाग

35. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली 2006 के नियम–10 एवं 17 (4) को प्रतिस्थापित करने के संबंध में। — **35. स्वीकृत।**

## गृह (विशेष) विभाग

36. दिनांक–08.10.2012 को पुलिस स्कार्ट पार्टी की जीप से टेंपू में टक्कर हो जाने के फलस्वरूप टेंपू चालक उपेन्द्र पंडित के अलावे उस पर सवार जाकिर हुसैन एवं उनकी पत्नी मासुमा खातून की मृत्यु के कारण मृतकों के आश्रितों को ₹ 4,00,000/–(चार लाख रूपये) प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — **36. स्वीकृत।**

ह०/–
**(अंजनी कुमार सिंह)**
मुख्य सचिव, बिहार